पत्र संख्या–15 / डी0एल0ए0 दरभंगा (संपर्क सड़क)–51 / 2013– पटना–15, दि0–

123

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

घोषणा

संख्या एस0 ओ0.........865 / रा0। पटना दिनांक 15-03-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–नारी भदौन, थाना–घनश्यामपुर, थाना नं0 259, अंचल–गौड़ा बौराम, जिला–दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात–मौजा नारी भदौन में महादलित परिवारों के बीच सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव–नारी भदौन के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.115 एकड़ के बराबर होता है, और जिसमें 0.115 एकड़ कृषि योग्य है। ली जानी वाली भूमि का खेसरा नं0–निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा – 10499, 10513, 10506, 10515, 10473, 10474, 10514, 10475, 10496 एवं 10512 / 12277
पूर्ण खेसरा – X

चौहद्दी :–
उ0 –अंश खे0सं0–10499, 10496, 10506 वगैरह
द0 –रास्ता खे0सं0–11378
पू0 –अंश खे0सं0–10510, 10513, 10514 एवं 10515
प0 –अंश खे0सं0–10473, 10475, 10474

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा–6 के उपबंधो के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम, 11,1961 एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इनसे संबध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.12.12
अमीन,

20.12.12
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।

21.12.12
अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।

समाहर्त्ता,
दरभंगा।

~~उप~~ सचिव,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या–15/डी0एल0ए0 दरभंगा (संपर्क सड़क)–51/2013–865/रा0 पटना–15, दि0– 15-03-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, दरभंगा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 15/3/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।